<u>पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ</u>

<u>प्रेस नोट सं0-2582</u>

<u>दिनांक-28.10 2025</u>

<u>जोन- उत्तरी/ थाना- बक्शी का तालाब</u>

<u>क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना बीकेटी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण</u>।

- ***मृतक की पत्नी ने अपने पुरूष मित्र के साथ मिलकर रची थी अपने पति की हत्या की साजिश।***
- **घटना को कारित करने वाले मृतक की पत्नी व उसके पुरूष मित्र को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा, जिंदा कारतूस व मृतक की मोटरसाइकिल बरामद।**

<u>01-सक्षिप्त विवरण:-</u>

दिनांक 25.10.2025 को थाना बख्शी का तालाब क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामपुर बाना निवासी **प्रदीप कुमार गौतम** पुत्र मंगलू, उम्र लगभग 25 वर्ष की गोली मारकर **हत्या कर दी गई थी।**

मृतक की पत्नी **चांदनी गौतम** की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 454/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 बनाम अज्ञात** पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

<u>02-पुलिस की कार्यवाही व गिरफ्तारी।</u>

गहन विवेचना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व स्थानीय खुफिया तंत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि हत्या में संलिप्त व्यक्ति मामपुर बाना रिंग रोड के आसपास छिपा हुआ है। इस पर **संयुक्त पुलिस टीम** द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इसी दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल UP32KT0932 पर आते हुए दिखाई दिया, जिसे रोकने पर वह भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम **बच्चा लाल पुत्र जालंधर निवासी ग्राम कुर्रापुरवा (मजरा कुर्रा), थाना कमासिन, जनपद बांदा, उम्र 22 वर्ष** बताया।

जामा तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **315 बोर का देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस व मृतक की मोटरसाइकिल** बरामद हुई।

<u>03-पूछताछ में खुलासा –</u>

अभियुक्त **बच्चा लाल** ने पूछताछ में बताया कि उसका **मृतक की पत्नी चांदनी** गौतम उर्फ ज्योति के साथ अवैध प्रेम सम्बन्ध था।

मृतक प्रदीप गौतम के शराब पीने व मारपीट करने की आदत से परेशान होकर चांदनी ने अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बच्चा लाल के साथ मिलकर बनाई।

दिनांक 25.10.2025 को चांदनी ने अपने पति की लोकेशन बच्चा लाल को बताई। बच्चा लाल ने प्रदीप को शराब पीने के बहाने **खड़ंजा मार्ग, ट्रांसफार्मर मामपुर बाना कट, रिंग रोड किनारे** ले जाकर पहले शराब पिलाई और फिर **पीठ एवं दाहिनी कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी।**

हत्या के बाद अभियुक्त मृतक की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। अभियुक्त बच्चा लाल को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए **दिनांक 28.10.2025 को समय 05:45 बजे खड़ंजा मार्ग, मामपुर श्मशान घाट के पास से गिरफ्तार किया गया।**

अभियुक्त के बयान व साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्ता चांदनी गौतम उर्फ ज्योति (पत्नी स्व. प्रदीप गौतम) को भी 28.10.2025 को समय 11:05 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया।**

मुकदमा उपरोक्त में संकलित साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त में **धारा 316(2)/61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी** कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

04-अपराध का उद्देश्य:

मृतक की पत्नी **चांदनी गौतम उर्फ ज्योति** का अभियुक्त **बच्चा लाल** के साथ अवैध प्रेम सम्बन्ध था। पति के शराबी स्वभाव व प्रताड़ना से त्रस्त होकर दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची ताकि दोनों साथ रह सकें।

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. **बच्चा लाल पुत्र जालंधर**, निवासी कुर्रा का पुरवा, मजरा कुर्रा, थाना कमासिन, तहसील बबेरू, जनपद बांदा, उम्र लगभग 22 वर्ष
   - *व्यवसाय:* ड्राइवर/खेती
2. **चांदनी उर्फ ज्योति पत्नी स्व0 प्रदीप गौतम**, निवासी मामपुर बाना, थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 28 वर्ष
   - *व्यवसाय:* गृहणी

06-बरामदगी का विवरण –

- *अभियुक्त **बच्चा लाल** से –*
  - 01 अदद तमंचा 315 बोर
  - 01 अदद जिंदा कारतूस
  - ₹325/- नगद
  - 01 अदद मोबाइल फोन (Tecno Spark)
  - मृतक की मोटरसाइकिल **(UP32KT0932)**
- *अभियुक्ता **चांदनी गौतम उर्फ ज्योति** से –*
  - **मृतक प्रदीप गौतम का** 01 अदद मोबाइल फोन (Moto E7 Plus)
  - अभियुक्ता का मोबाइल फोन (Vivo Y28)

07-गिरफ्तारी करने वाली थाना बीकेटी की पुलिस टीम -

क्राइम ब्रांच	क्राइम/सर्विलांल टीम डीसीपी उत्तरी	थाना बीकेटी
प्रभारी निरीक्षक स्वाट/थाना मड़ियांव शिवानन्द मिश्रा	क्राइम/सर्विलांल टीम प्रभारी उ0नि0 मनीष कुमार मिश्र	1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह
उ0नि0 प्रकाश सिंह	हे0का0 अवधेश गिरी	2. निरीक्षक कैलाश चन्द्र दुबे
हे0का0 जीत सिंह	हे0का0 नदीम	3. उपनिरीक्षक राम प्रभाव
का0 देशराज मुखिया	हे0का0 संतोष कुमार	4. उपनिरीक्षक अशोक कुमार यादव
	का0 विशेष दुहुण	5. उपनिरीक्षक शेषमणि मिश्र
	का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह	6. उपनिरीक्षक शैलेन्द्र मिश्रा
		7. उ0नि0 अनिल कुमार
		8. म0उ0नि0 सृष्टि निगम
		9. कांस्टेबल अम्ब्रीश सिंह
		10. कांस्टेबल सचिन यादव
		11. का0 दिलीप कुमार
		12. का0 नितिन
		13. म0का0 रचना शर्मा
		14. म0का0 सिम्पल चतुर्वेदी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2586
दिनांक-28.10.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

थाना गोमतीनगर पुलिस की तत्परता से नाबालिग से सम्बन्धित मामले में 24 घण्टे के भीतर अभियुक्त गिरफ्तार।

- **मु0अ0सं0 496/2025 धारा 137(2)/351(3)/75(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग को जबरन ले जाने एवं चाकू मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई।**
- **दूसरे अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 27.10.2025 को समय करीब 22.00 बजे,उ0नि0 श्री प्रेम कुमार मय हमराह हे0का0 बब्बन यादव द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्वारी गांव, विकासखण्ड-5 से अभियुक्त भूरिया उर्फ अवधेश यादव पुत्र रामगोपाल यादव, निवासी ग्वारी गांव, थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त से आवश्यक पूछताछ कर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

थाना गोमतीनगर पर दिनांक **26.10.2025** को वादिनी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर, वादिनी की भतीजी को जबरदस्ती ले जाने एवं **चाकू मारने की धमकी** देने के आरोप में **मु0अ0सं0 496/2025** धारा **137(2)/351(3) बीएनएस** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना **उ0नि0 प्रेम कुमार** द्वारा संपादित की जा रही है।

दौराने विवेचना वादिनी के बयान, घटनास्थल निरीक्षण, पीड़िता के बयान, तथा आयु प्रमाणपत्र के अवलोकन के पश्चात अभियोग में **धारा 75(2) बीएनएस एवं 7/8 पाक्सो एक्ट** की वृद्धि की गई है। विवेचना के क्रम में अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम सक्रिय की गई थी।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

नाम: भूरिया उर्फ अवधेश यादव
पिता का नाम: राम गोपाल यादव
पता: ग्वारी गांव, विकासखण्ड-5, थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ
उम्र: लगभग 28 वर्ष

04-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. 496/2025 धारा 137(2)/351(3)/75(2) बीएनएस 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ

2. 264/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सफरदरगंज जनपद बाराबंकी

3.011/2020 धारा 427/452/506 भादवि थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ

नोट- अभियुक्त के अन्य आपराध के बारे में जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री प्रेम कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ

2. हे0का0 बब्बन यादव थाना गोमतीनगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2586
दिनांक-28.10.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

थाना गोमतीनगर पुलिस की तत्परता से नाबालिग से सम्बन्धित मामले में 24 घण्टे के भीतर अभियुक्त गिरफ्तार।

- **मु0अ0सं0 496/2025 धारा 137(2)/351(3)/75(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग को जबरन ले जाने एवं चाकू मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई।**
- **दूसरे अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 27.10.2025 को समय करीब 22.00 बजे,उ0नि0 श्री प्रेम कुमार मय हमराह हे0का0 बब्बन यादव द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्वारी गांव, विकासखण्ड-5 से अभियुक्त भूरिया उर्फ अवधेश यादव पुत्र रामगोपाल यादव, निवासी ग्वारी गांव, थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त से आवश्यक पूछताछ कर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

थाना गोमतीनगर पर दिनांक **26.10.2025** को वादिनी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर, वादिनी की भतीजी को जबरदस्ती ले जाने एवं **चाकू मारने की धमकी** देने के आरोप में **मु0अ0सं0 496/2025** धारा **137(2)/351(3) बीएनएस** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना **उ0नि0 प्रेम कुमार** द्वारा संपादित की जा रही है।

दौराने विवेचना वादिनी के बयान, घटनास्थल निरीक्षण, पीड़िता के बयान, तथा आयु प्रमाणपत्र के अवलोकन के पश्चात अभियोग में **धारा 75(2) बीएनएस एवं 7/8 पाक्सो एक्ट** की वृद्धि की गई है। विवेचना के क्रम में अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम सक्रिय की गई थी।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

नाम: भूरिया उर्फ अवधेश यादव
पिता का नाम: राम गोपाल यादव
पता: ग्वारी गांव, विकासखण्ड-5, थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ
उम्र: लगभग 28 वर्ष

04-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. 496/2025 धारा 137(2)/351(3)/75(2) बीएनएस 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ

2. 264/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सफरदरगंज जनपद बाराबंकी

3.011/2020 धारा 427/452/506 भादवि थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ

नोट- अभियुक्त के अन्य आपराध के बारे में जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री प्रेम कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ

2. हे0का0 बब्बन यादव थाना गोमतीनगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2589
दिनांक-28.10.2025

जोन- पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

- **थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या के 01 नफर आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा के द्वारा थाना हाजा पर दिनांक 27.10.2025 को तहरीरी सूचना दी गई कि उसके भाई के द्वारा उसकी वृद्ध माँ को धक्का दे दिया जिससे गिरने के कारण माँ के सिर में चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई । वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-665/2025 धारा-105 बी.एन.एस. थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम अतेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्वःराम प्रताप सिहं चौहान निवासी-435/153 अहमदगंज पजावा थाना ठाकुरगंज लखनऊ के पंजीकृत किया गया।

ठाकुरगंज पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर तथा सुरागरसी पतारसी के क्रम में मुखबिरी सूचना पर अभियुक्त अतेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्वःराम प्रताप सिहं चौहान निवासी-435/153 अहमदगंज पजावा थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 49 वर्ष को दिनांक-28.10.2025 को गुलाला घाट के पास से गिरफ्तार कर पंजीकृत अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अतेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्वःराम प्रताप सिहं चौहान निवासी-435/153 अहमदगंज पजावा थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 49 वर्ष।

03-पंजीकृत (अनावरित) अभियोग-

1.मु0अ0सं0-665/2025 धारा-105 बी.एन.एस. थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शुभम सिंह चौकी प्रभारी गऊघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
2-उ0नि0 पंकज सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3-का0 बलदीप यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2584
दिनांक-28.10 2025

जोन- दक्षिणी/थाना-पी.जी.आई.

होटल के कमरे से गेस्ट का पैसा चोरी करने वाले तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

- होटल नटराज के कमरे से ₹80,000/- चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।
- चोरी के ₹20,500/- बरामद।
- अभियुक्त होटल में कार्यरत रहकर योजना बनाकर करते थे चोरी।
- थाना पी.जी.आई. पुलिस टीम की सफलता।

01-कार्यवाही-

श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय व **श्री निपुण अग्रवाल** श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी महोदय के कुशल निर्देशन व **श्री रल्ला पल्ली बसन्थ कुमार** IPS श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी महोदय व **श्री ऋषभ रूणवाल** IPS श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं **श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह** प्रभारी निरीक्षक पीजीआई महोदय के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत 27.10.2025 को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि **होटल नटराज के कमरे चोरी करने वाले** मुकदमे से संबंधित तीन व्यक्ति **दीन दयाल पार्क के पीछे नहरिया के पास** आपस में पैसों के बंटवारे की बात कर रहे हैं और कहीं जाने की फिराक में हैं। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना पी.जी.आई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दबिश देकर अभियुक्तों को घेराबंदी कर समय 23.00 बजे गिरफ्तार किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त गण को मा0 न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है ।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

वादी मुकदमा **श्री अंकित शुक्ला पुत्र प्रभाकान्त शुक्ला**, निवासी 129/1/17 मालवीय रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज (वर्तमान पता – अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद) द्वारा दिनांक **26.10.2025** को थाना पी.जी.आई. पर आकर तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा **होटल नटराज** के कमरे से ₹80,000/- चोरी कर लिए गए हैं।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 545/2025 धारा 305 भारतीय न्याय संहिता, 2023** बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक **श्री आलोक कुमार यादव** को सौंपी गई।

03-गिरफ्तारी विवरण –

दिनांक **27.10.2025 को समय 23.00 बजे** दीन दयाल पार्क के पीछे नहरिया के पास से गिरफ्तार अभियुक्त –

1. **आयुष कुमार सिंह**, पुत्र पुरूषोत्तम, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम रसूलपुर जहांगीरपुर, पोस्ट बेगरिया, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ।
   - *बरामदगी:* ₹8,000/-
2. **सरफराज हुसैन**, पुत्र मोहम्मद आलम रिजवी, उम्र 20 वर्ष, निवासी रसूलपुर सादात, थाना इन्दिरानगर, जनपद लखनऊ। **(होटल नटराज इन में मैनेजर)**
   - *बरामदगी:* ₹7,000/-
3. **सुरेन्द्र कुमार**, पुत्र शीतला प्रसाद, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम नरायनपुर, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली। **(होटल नटराज इन में अटेंडेंट)**
   - *बरामदगी:* ₹5,500/-

04-बरामदगी का विवरण:-

कुल बरामद 20500/- रूपये

05-अनावरित अभियोग –

1. **मु0अ0सं0 545/2025**
   - **धारा:** 305, 317(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023
   - **थाना:** पी.जी.आई. लखनऊ

06-अभियुक्त आयुष रावत उर्फ आयुष प्रताप सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 545/2025 धारा 305 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना पीजीआई, लखनऊ
2. मु0अ0स0 144/2018 धारा 457/380/411 IPC थाना अलीगंज लखनऊ
3. मु0अ0सं0 163/2018 धारा 380/411/454 भा0द0वि0 थाना जानकीपुरम लखनऊ
4. मु0अ0सं0 231/2018 धारा 380/411/454 भा0द0वि0 थाना हसनगंज लखनऊ
5. मु0अ0सं0 503/2018 धारा 380/457/411 भा0द0वि0 थाना मड़ियांव लखनऊ
6. मु0अ0सं0 559/2018 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना गाजीपुर लखनऊ
7. मु0अ0सं0 597/2018 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना मड़ियांव लखनऊ
8. मु0अ0स0 25/2020 धारा 34/394/397/411 थाना सुशान्त गोल्फसिटी लखनऊ
9. मु0अ0स0 27/2020 धारा 307 भा0द0वि0 थाना सुशान्त गोल्फसिटी लखनऊ
10. मु0अ0स0 28/2020 धारा 3/25 ARMS ACT थाना सुशान्त गोल्फसिटी लखनऊ
11. मु0अ0स0 29/2020 धारा 41/411 IPC थाना सुशान्त गोल्फसिटी लखनऊ
12. मु0अ0स0 150/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना सुशान्त गोल्फसिटी लखनऊ
13. मु0अ0सं0 205/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना चिनहट लखनऊ
14. मु0अ0सं0 154/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
15. मु0अ0सं0 266/2023 धारा 411 भा0द0वि0 थाना मड़ियांव लखनऊ
16. मु0अ0सं0 208/2023 धारा 379/411/427 भा0द0वि0 थाना पीजीआई लखनऊ

07-पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगणों ने बताया कि वे **होटल नटराज इन** में कार्य करते हैं। नशे की लत व महंगे शौक पूरे करने के उद्देश्य से दिनांक **23/24.10.2025 की रात** को एक गेस्ट के कमरे से चोरी की घटना की थी। चोरी की गई रकम आपस में बांट ली गई, जिसमें से कुछ रुपये खर्च कर दिए गए थे। शेष रकम पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है।

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री आलोक कुमार यादव, थाना पी.जी.आई. लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार, थाना पी.जी.आई. लखनऊ
3. हे0का0 खगेश हरि त्रिपाठी, थाना पी.जी.आई. लखनऊ
4. हे0का0 प्रद्युम्न पाण्डेय, थाना पी.जी.आई. लखनऊ
5. का0 मनोज यादव, थाना पी.जी.आई. लखनऊ